

11. सड़क के निर्माण के प्रस्तावों पर "एलाइमन्ट" तय होते के समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श "सर्वोच्च निकाय विभाग" द्वारा प्राप्त किया जायेगा, तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख सम्बन्ध में सर्वोच्च निकाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता पर्वतीय क्षेत्र, पौड़ी के सम्बन्धित पत्र संख्या 608/सी

10. याचक विभाग इस्तान्तरित भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा विभाग अथवा व्यक्ति विशेष को इस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः विना किसी प्रकार के प्रतिकार का भूगतान किसे वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यक्ता याचक विभाग को न रहने पर भी इस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि (Automatic) स्वतः विना किसी प्रतिकार का भूगतान किसे वन विभाग को प्राप्त हो जायेगा।

9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग को नर्सरियाँ/पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों को निःशुल्क जल संधिणा उपलब्ध करायी जायेगी।

8. बर्हमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जर्जियाँ से भरपूर वन क्षेत्रों का इतुं जाने पर इस्तान्तरित विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।

7. इस्तान्तरित वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग को अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की मूआवजे का भूगतान उक्त विभाग को करना होगा।

5. इस्तान्तरित विभाग, उसके कर्मचारी, अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेगी और ऐसा किसे जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित नही है।

4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सन्निहित कर लिया जाये कि मांगी गई भूमि न्यूनतम भूमि है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैधानिक वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नही है।

3. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, हेतु कदापि नही।

2. प्रवेगल भूमि का उपयोग केवल कलित प्रयोजन हेतु किया जायेगा, अन्य प्रयोजन यह पूर्व की शर्त/आरक्षण वन भूमि बनी रहेगी।

1. भूमि इस्तान्तरण के बाद भी उसके वैधानिक स्तर से कोई परिवर्तन नही होगा और

दिनांक 31.12.1984 द्वारा निर्धारित)

(वन अनुभाग-3 उ०प्र० शासन की पत्र संख्या 7314/14-3-980/82)

मानक शर्त